

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी—श्रीचावण्डदानचारण आरएस

प्रकरण संख्या—एल.आर. 7 सन 2020
पंजीयन दिनांक 4.3.2020

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना
क्रियान्वयन
ईकाई चित्तौडगढ ।

—अपीलांट

विरुद्ध

- 1.श्रीनरेन्द्रकुमार पिता रामलाल अहीर नि.जोजरोकाखेडा ।
- 2.प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रूपांतरण एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार ।
- 3.राज्य जरिये जिला कलक्टर चित्तौडगढ ।

—रेस्पोडेन्ट



अपील विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी गंगरार
प्रकरण संख्या 34/2016 आदेश दिनांक 23.12.2016

उपस्थित—श्री अनुराग शर्मा—अधिवक्ता अपीलांट
श्री छोगालाल जाट—अधि.रेस्पो—1
राजकीय अधिवक्ता—रेस्पो—2,3

—0—

निर्णय

दिनांक 1.2.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेपमें इसप्रकार हैकि रेस्पोडेन्ट संख्या—एक ने उपखण्ड अधिकारी गंगरार में राजस्थान भू—राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन)नियम 2007 के अन्तर्गत ग्राम जोजरोकाखेडा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 61/908 रकबा 0.14हेक्टेयर में से 0.13 हैक्टेयर का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी गंगरार द्वारा दिनांक 23.12.2016 को उक्त आवेदित भूमि का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियमनानुसार संपरिवर्तन शूलक राज्यकोष में जमा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

करवाये जाकर संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया जिसके विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपीलांट पक्षकार नहीं होने से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 का प्रस्तुत किया गया एव उक्त प्रार्थना-पत्र का जवाब रेस्पोंडेंट संख्या-1 की ओर प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर यह तथ्य अंकित किये कि अपीलांट के द्वारा जो अवाप्ति की अधिसूचना जारी की गयी है उसमें उक्त भूमि का व्यावसायिक मानते हुए अधिसूचना जारी की व उसी के अनुसार अवाप्ति की कार्यवाही करवायी जाकर सहमति से एवाड आदेश पारित करवाया गया है ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जो रूपांतरण आदेश पारित किया गया है उससे अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा-96 स्वीकार योग्य नहीं रहता है ।

इस न्यायालय में अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है जिसके लिये अपीलांट ने प्रार्थना-पत्र धारा-5 का प्रस्तुत किया गया एवं इसके संदर्भ में अधिवक्ता रेस्पों-1 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया गया । न्यायहित में उक्त प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया व यह तथ्य अंकित किये कि अपीलांट को रूपांतरण आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही है फिर भी अपीलांट ने जानबुझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है जिससे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा-5 कानून मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य नहीं होने से धारा-5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं है ।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस रेस्पोंडेंट संख्या एक की भूमि आराजी नम्बर नम्बर 61/908 रकबा 0.14 हैक्टेयर में से 0.13 हैक्टेयर भूमि का उपखण्ड अधिकारी गंगारार द्वारा दिनांक 23.12.2016 को किया गया व्यावसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन इण्डियन रोड कोग्रेस व राजय सरकार द्वारा जारी नियमों के विपरीत है एवं उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के सटमा स्थित थी और राष्ट्रीय राजमार्ग के सटमा स्थित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ रूपांतरण करने के लिये जो नियम बने हुए है उसके अनुसार सडक के मध्य बिन्दु से 75 मीटर छोड



1-0
राजस्थान अपील प्राधिकारी
जिलाधिकारी (राज.)

कर ही भूमि का व्यावसायिक रूपांतरण किया जा सकता है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या एक के हक में जो 0.13 हैक्टेयर भूमि का व्यावसायिक रूपांतरण किया गया है व सडक के मध्य बिन्दु के केवल 45 मीटर की दुरी पर ही स्थित है ऐसी स्थिति में व्यावसायिक रूपांतरण किया ही नहीं जा सकता था फिर भी गलत व विधि विरुद्ध तरीके के कार्यवाही करते हुए उक्त रूपांतरण आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-एक द्वारा व्यावसायिक रूपांतरण की उक्त कार्यवाही पूर्ण रूप से मिलीभगत से सम्पादित करवाई गई ताकि भविष्य में उक्त भूमि को जब भी सडक सीमा में अवाप्ति के लिये अवाप्त किया जावे तो रेस्पोडेन्ट संख्या-एक अवैध रूप से उक्त भूमि का व्यावसायिक दर से मुआवजा राशि प्राप्त कर करें। अंत में उन्होंने अपील मिमो एवंलिखित बहस में अंकित सम्पूर्ण तथ्यों को पुनः दोहराते हुये अपील स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी गंगरार का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 23.12.2016 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट-एक एवं राजकीय अधिवक्ता रेस्पो-2,3 ने वक्त बहस दौरान उपखण्ड अधिकारी गंगरार का संपरिवर्तन आदेश राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के अन्तर्गत एवं इण्डियन रोड कोग्रेस के मापदण्ड अनुसार सही होने से अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

मैंने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन गया उपखण्ड अधिकारी गंगरार द्वारा ग्राम जोजरोकाखेडा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 61/908 रकबा 0.14 हैक्टेयर में से 0.13 हैक्टेयर भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया वो राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं इण्डियन रोड कोग्रेस के मापदण्ड अनुसार उपरोक्त नियमों एवं जिलाकलक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक राजस्व/नियम/संपरिवर्तन/2007/107 दिनांक 17.1.2012 जिसमें व्यावसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने का निर्देश जारी किया है उन्ही निर्देशों की पालना करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने विधिवत रूपांतरण आदेश पारित किया है जो विधिसंवत



1-0
राजस्थान अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

होकर इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है ओर इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है व विवादित भूमि संपरिवर्तित होकर कृषि भूमि नहीं होकर व्यावसायिक भूमि हो जाने से अपील सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है और उपखण्डअधिकारी गंगरार का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 23.12.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1.2.2021 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।



(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज)